कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग–ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ दिनांकः 23.07.2023

अति आवश्यक/आज ही
जरिये ई–मेल

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
माध्यमिक शिक्षा (समस्त)।

विषयः–"सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा शर्तों पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–1. सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023
2. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022
3. शासन के दिशा–निर्देश पत्र दिनांकः 02.11.2022

उपर्युक्त प्रासंगिक राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022 व शासन के दिशा–निर्देश पत्र दिनांकः 02.11.2022 के क्रम में सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के पदों पर संविदा आधारित भर्ती प्रक्रियाधीन है। संविदा आधारित उक्त नियुक्तियों हेतु शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 02.11.2022 द्वारा संबंधित जिले के **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नियुक्ति अधिकारी बनाया गया है।**

विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2022–23, 02/2022–23 दिनांकः 15.01.2023 तथा संशोधित विज्ञप्ति दिनांकः 29.03.2023 द्वारा निम्नांकित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाए गए थे, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों की वर्ग/श्रेणीवार चयन सूची जारी की जाकर जिला आवण्टन किया जा चुका है :–

क्र.सं.	क्षेत्र	पदनाम
01	गैर अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम
02	गैर अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी)
03	गैर अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (विज्ञान–गणित)
04	अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम
05	अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी)
06	अनुसूचित	सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (विज्ञान–गणित)

चयनित अभ्यर्थियों की संविदा आधारित नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम के पदस्थापन हेतु :–

A. सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम हेतु संविदा भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को **केवल ग्रामीण क्षेत्र के** महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–01 से 05 तक के शिक्षण कार्य हेतु लगाया जाएगा।

B. **जिलेवार विज्ञापित पदों के अनुसार** रिक्तियों को चिह्नित किए जाते समय निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम रखा जावे :–

1. जिन विद्यालयों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया किए जाने के पश्चात् भी विभाग के चयनित कार्मिक नहीं मिलने के कारण अध्यापक, लेवल–प्रथम के सभी 05 पद रिक्त रह गए हैं।
2. नए रूपान्तरित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किए जाने के कारण सभी 05 पद अभी रिक्त हैं।

3. वे विद्यालय, जिन्हें डी–मर्ज कर रूपान्तरित किया गया है तथा वर्तमान में किसी भी शिक्षक को पदस्थापित नहीं किया गया है, उनमें न्यूनतम 02 अध्यापक, लेवल–प्रथम को अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
4. रिक्तियों का निर्धारण करते समय विद्यालयों का चयन, रिक्त पदों की संख्या अधिक से कम रिक्त होने के क्रम में किया जावे।
5. रिक्तियों का चयन इस प्रकार किया जावे कि साक्षात्कार से चयन उपरान्त विभाग के लगे अध्यापक, लेवल–प्रथम व संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम के कुल न्यूनतम 02 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हो सके। तत्पश्चात् अन्य विद्यालयों का चयन किया जाए।
6. यदि जिले में आवण्टित अनुसार कक्षा–01 से 05 तक शिक्षण हेतु अध्यापक, लेवल–प्रथम के पदस्थापन के कारण पद उपलब्ध नहीं हैं, तो यथा आवश्यकता साक्षात्कार से चयन उपरान्त लगे अध्यापक, लेवल–प्रथम को इन विद्यालयों से अधिशेष कर हिन्दी माध्यम विद्यालयों में लगाए जाने हेतु कार्यमुक्त करते हुए चयनित सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम को इन विद्यालयों में लगाया जाएगा।

2. <u>सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के पदस्थापन हेतु</u> :–

A. सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय हेतु संविदा भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को <u>केवल ग्रामीण क्षेत्र के</u> महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–06 से 08 तक के शिक्षण कार्य हेतु लगाया जाएगा।

B. **जिलेवार विज्ञापित पदों के अनुसार** रिक्तियों को चिह्नित किए जाते समय निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम रखा जावे :–
1. जिन विद्यालयों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया किए जाने के पश्चात् भी विभाग में कार्यरत अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) उपलब्ध नहीं हुए हैं।
2. जिन विद्यालयों में अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के पद हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं करने के कारण कार्मिकों का चयन नहीं किया गया है, अथवा अन्य कारणों से रिक्त पद।
3. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अनुसार चिह्नित रिक्त पदों की संख्या, सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के जिले को आवण्टित चयनित संविदा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो साक्षात्कार से चयनित पूर्व पदस्थापित उतनी ही अधिक संख्या की सीमा तक संबंधित विषय के अध्यापक, लेवल–द्वितीय को हिन्दी माध्यम विद्यालयों में समायोजित करते हुए सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) को लगाया जाएगा।

C. सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय को उनके संविदा भर्ती हेतु चयन किए गए विषय के अनुसार ही पदस्थापित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अन्य विषय के विरूद्ध नहीं लगाया जाएगा।

3. <u>अन्य महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–
1. पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, लेवल–प्रथम व अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) जो साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन द्वारा विद्यालय में पदस्थापित नहीं हैं, उन पदों को रिक्त पद की श्रेणी में गणना की जानी है।
2. रिक्त पद पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर साक्षात्कार से चयनित कार्मिकों को उनके अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ से वरिष्ठ होने के क्रम में अधिशेष किया जाएगा।
3. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु साक्षात्कार से जिन चयनित कार्मिकों को अधिशेष किया जाकर हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया है, प्रतिवर्तन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु उनके प्रस्ताव निदेशालय को भेजे जावे।
4. किसी भी विद्यालय में 03 से अधिक सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम नहीं लगाये जाए।

5. रिक्तियाँ पद एवं विषयवार जिले का आवण्टित अभ्यर्थियों की संख्या तक (100%) ही प्रकाशित किया जाएगा।
6. सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय को संविदा आधार पर नियुक्ति के नियम "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022" के तहत नियुक्त किया जाएगा। अतः अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति आदेश जारी करते समय इन नियमों का भली भांति अवलोकन कर लिया जावे।
7. संविदा आधारित उक्त भर्ती एक वर्ष की अवधि, अर्थात् दिनांकः ....से दिनांकः .... तक के लिए की जाएगी।
8. चयनित सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय(अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) को प्रतिमाह राशि 16,900/–रूपये संविदा पारिश्रमिक देय होगा।

   इसके अतिरिक्त वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा :–
   (क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रूपये 1600/– प्रति वर्ष से अधिक न हो।
   (ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।
   (ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/– रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

9. आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करावें तथा उक्त भर्ती अन्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया जाऐ एवं अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जाँच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जावे, **किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।**
10. जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता {सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम के लिए उच्च माध्यमिक या डी.एल.एड. तथा सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान– गणित) हेतु स्नातक या बी.एड./डी.एल.एड., जो भी लागू हो} राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य से अर्जित की गई हो, निदेशालय स्तर से उनकी डिग्री एवं अंग्रेजी माध्यम में शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के प्रमाण पत्र की जाँच करवाए जाने के उपरान्त ही नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जावे, **किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।**

    अतः ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना संलग्न <u>परिशिष्ट–क</u> में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार तैयार कर, उसके साथ अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की अंकतालिका/डिग्री तथा अंग्रेजी माध्यम में शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के प्रमाण पत्र की प्रतियाँ क्रमानुसार संलग्न कर दिनांकः 31.07.2023 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाई जावें।
11. **जो अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने के आधार पर पात्र हैं, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाना है। ऐसे प्रकरणों को अलग कर तत्काल निदेशालय को मूल प्रकरण लौटाए जाऐं।**
12. जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाडी कोटे से चयन हुआ है, उनके खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही तदनुसार नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जावे, **किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।**
13. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्तं चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य

प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

14. जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पायी जाए, उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांकः 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

15. किसी अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

16. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांकः 08.04.2003 तथा समय–समय जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांकः 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।

17. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो, तत्सम्बन्धी आशय का 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांकः 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

19. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांकः 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पंजिका में संलग्न किया जावे।

20. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

21. **नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों व स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज प्रतियों के आधार पर उनकी पात्रता की पुनः जाँच की जाएगी। अन्तिम पात्रता जाँच हेतु जिले को आवण्टित अभ्यर्थियों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। संशय या भिन्नता की स्थिति में आवेदक को व्यक्तिशः बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर ली जानी चाहिए।**

22. संविदा भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञप्तियों एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर की जाने वाली अन्तिम पात्रता जाँच में कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो अभ्यर्थी से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय कारण सहित प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जावे।

23. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व प्रमाण–पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

24. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि चयन व जिला आवण्टन आदेश में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।

25. अनुसूचित क्षेत्र (TSP) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) हेतु चयनितों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा।
26. चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्र अथवा अन्य प्रमाण–पत्र जो उसकी पात्रता को प्रभावित करते हैं, के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जाँच अनिवार्य रूप से की जाए।
27. चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संलग्न किए गए प्रारूप में जारी किए जाऐंगे। उक्त प्रारूप को कतई बदला नहीं जाए।
28. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित प्रमाण–पत्र व शपथ–पत्र भी चयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक रूप से प्राप्त किए जावें :–
    A. <u>शपथ पत्र</u>– निर्धारित संलग्न प्रारूप–01, 02 में से जो भी लागू हो प्राप्त करना है।
    B. <u>शपथ पत्र</u>– उक्त संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा (विधवा/विवाह विच्छिन्न–परित्यक्ता श्रेणी) ....से ऑनलाईन आवेदन क्रमांक ....भरा है, मेरे द्वारा आज दिनांक ....तक पुनर्विवाह नहीं किया गया है।
    C. <u>शपथ पत्र</u>– उक्त संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक ....भरा गया तथा मेरा इस श्रेणी हेतु चयन हुआ है। मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया गया है।
    D. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं हों)।
29. नियुक्ति पर कार्यग्रहण उपरान्त प्रत्येक संविदा कार्मिक के लिए पृथक–पृथक व्यक्तिगत पंजिका संधारित की जावे, जिसमें संविदा कर्मी के सम्बन्ध में जारी किए गए समस्त आदेश/निर्देश सुरक्षित रखे जावें।
30. कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना **दिनांकः 16.08.2023** तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाई जावे।

4. <u>नियुक्ति एवं काउंसलिंग कार्यक्रम</u> :–
    1. चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 18.05.2020 के प्रावधानानुसार प्राथमिकता सूची तैयार की जावे।
    2. चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के सम्बन्ध में स्थान, दिनांक व समय की सूचना दी जानी सुनिश्चित करें।
    3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः पं.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट दिनांकः 18.05.2020 के द्वारा भर्ती एजेन्सी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवण्टन नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-Person Counseling के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को प्राथमिकता क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार काउंसलिंग करवाई जावे **(प्रति संलग्न)**।
    4. पति–पत्नी प्रकरण में सम्बन्धित अभ्यर्थी से सम्बन्धित जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण/आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जावे। यदि इस भर्ती में पति–पत्नी दोनों का ही चयन हुआ है तो पति पुरूष अभ्यर्थी को सामान्य पुरूषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जावे।
    5. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 जयपुर, दिनांकः 18.10.2021 **(प्रति संलग्न)** के बिन्दु संख्या–04 में वर्णित प्रावधानों और समय–समय पर भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है उनके अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन/नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जावे।
    6. काउंसलिंग दिनांकः 27.07.2023 व दिनांकः 28.07.2023 को की जाकर काउंसलिंग के अन्तिम दिन ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँ तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 12.08.2023 रखी जावें।
    7. नियुक्ति आदेश उसी दिन विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं।

विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम तथा सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के पदों पर आदेश **दिनांकः 28.06.2023** व **18.07.2023** में चयनित किये गये अभ्यर्थियों के **दिनांकः 17.07.2023** व **18.07.2023** को जिला आवण्टन आदेश जारी किये गये है जिनकी पदवार व जिलेवार सूचियाँ (एक्सल शीट में) संलग्न की जा रही है।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः–01. जिला आवण्टित अभ्यर्थियों की सूची (NTSP एवं TSP) (एक्सल शीट में)

02. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022 की प्रति

03. प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र दिनांकः 18.05.2020

04. शासन के दिशा–निर्देश पत्र दिनांकः 02.11.2022

05. कार्मिक विभाग की अधिसूचना व परिपत्र दिनांकः 04.12.2019 , 26.10.2021, 08.04.2003, 04.10.2013, 11.05.2023, 18.10.2021

06. परिशिष्ट–''क'' (अन्य राज्य से अर्जित योग्यता विवरण भिजवाने बाबत)

07. नियुक्ति आदेश का प्रारूप 08. शपथ पत्र के प्रारूप 01 व 02

23/7/23

(काना राम)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)/उप निदेशक (महात्मा गाँधी विद्यालय), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त)।
8. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।

23.7.2023

उप निदेशक(महात्मा गाँधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा,...........................

क्रमांकःजिशिअ (मु.)/माशि/ दिनांकः

:: नियुक्ति आदेश ::

"सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग–ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ दिनांकः 28.06.2023/18.07.2023 के क्रम में संलग्न सूची (परिशिष्ट–क) अनुसार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक, लेवल–..............................पद के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इनको राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है।

अतः वह इसके द्वारा ....(पद का नाम) रूप में संविदा पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् .... तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर संलग्न सूची के कॉलम संख्या–17 में उल्लिखित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किया जाता है :–

1- रूपये 16,900/–(अंकों में) सोलह हजार नौ सौ मात्र (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी :–
   (क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रूपये 1500/– प्रति वर्ष से अधिक न हो।
   (ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।
   (ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/–रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
2- निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।
3- ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।
4- पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर–भीतर जारी किए गये हो।
5- नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।
6- कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।
7- संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।
8- संविदात्मक नियुक्ति ....को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।
   नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

9- यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाहय है तो वह अधोहस्ताक्षरी को 12.08.2023 (पन्द्रह दिन से अनधिक) से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। उक्त दिनांक तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

संलग्नः—नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची (परिशिष्ट—क)।

(.................................)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,.........................

क्रमांक:जिशिअ (मु.)/माशि/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,..............................।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा,.......................।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ...।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, ...।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा,..............................।
13. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,.........................

परिशिष्ट–क

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा,..........................

क्रमांकःजिशिअ (मु.)/माशि/ दिनांकः

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 अन्तर्गत "सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के तहत सहायक अध्यापक, लेवल–.............................. पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची :–

S.No.	MERIT No.	Application_No	TSP/ NTSP	Candidate_Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	Gender	Own_ Cat.	Sel_ Cat.	Spl_ Cat	आवण्टित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(..................................)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,..........................

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ. 17(4)कार्मिक/क-2/2014 जयपुर, दिनांक: 11.01.2022

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार लोक हित में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में विभागीय स्कीम/परियोजनाएं/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/परियोजनाएं हाथ में लेती है। इन परियोजनाओं/स्कीमों से अधिकतर के क्रियान्वयन के लिए ऐसे विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनके लिए सरकार में किसी अन्य सेवा नियम में, ऐसे पदों की सेवा की नियुक्तियों तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए, पद विद्यमान नहीं है। सरकार द्वारा हाथ में ली गयी विकास स्कीमें/परियोजनाएं, उनके मूल स्वरूप से ही, प्रायः अल्पावधि या मध्यावधि के लिए अपेक्षित होती है। अतः राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे पदों को राज्य सरकार में व्यक्तियों को संविदा आधार पर रखकर भरे जाने हेतु अनुज्ञात करे।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, संविदा पर विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति को रखे जाने तथा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 में रखे गये व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, अन्य कोई प्राधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें;

(ii) "प्रशासनिक विभाग" से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है, जिसमें संविदात्मक पद सृजित किये जायें;

(iii) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(iv) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(v) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. व्याप्ति और लागू होना.- ये नियम, किसी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे, बशर्ते कि उसका चयन आवेदनों को लोक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करने के पश्चात किया गया हो।

4. पद और पदों की संख्या.- (1) स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सृजित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जैसा वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों की संख्या इतनी होगी जैसी सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार,-

(क) आवश्यक समझे जाने पर किसी संविदात्मक पद का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी, और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी, समाप्त कर सकेगी या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. संविदा पर रखे जाने की रीति .- नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर के इन नियमों के अधीन संविदा पर रखा जा सकेगा। चयन प्रक्रिया, कार्मिक विभाग की सहमति से, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अवधारित की जाएगी।

6. आयु.- इन नियमों के अधीन संवीदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष होगी:

परन्तु उपरोल्लिखित ऊपरी आयु-सीमा,-

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;

(ii) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष; और

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष,

तक शिथिल की जा सकेगी।

7. नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता की कसौटी.- इन नियमों के अधीन सृजित पद की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, कर्त्तव्य, दायित्व, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से, प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित किये जाएंगे।

8. चिकित्सा प्रमाणपत्र और चरित्र प्रमाणपत्र का पेश किया जाना.-(1) इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक को चरित्र प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करना होगा जो कार्यग्रहण की तारीख से छह माह से अधिक पूर्व का लिखा हुआ न हो।

9. अन्य शर्तें .- (1) कोई व्यक्ति, सरकार में किसी संविदात्मक पद पर रखे जाने के लिए पात्र होगा यदि,-

(क) वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो;

(ख) वह लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं हुआ हो या अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से हटाया न गया हो;

(ग) वह किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हों, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय, ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

10. आरक्षण.- इन नियमों के अधीन संविदात्मक नियुक्ति के लिए सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं और बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्ति इत्यादि के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी उपबंध तथा नियम/अनुदेश लागू होंगे।

11. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि.-(1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर, प्रथम संविदात्मक नियुक्ति पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए या स्कीम/परियोजना के अवसान की कालावधि तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी, तथापि, यदि स्कीम/परियोजना की कालावधि और बढ़ायी गयी है तो, राज्य सरकार संविदा कर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात, एक बार में 3 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि बढ़ाकर संविदात्मक नियुक्ति के नवीकरण के लिए विनिश्चय कर सकेगी और संविदात्मक नियुक्ति उस तारीख, जिसको संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है, से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) संविदा पर रखे गये व्यक्ति का कार्य निर्धारण अभिलिखित किया जायेगा ताकि यदि उस पर अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना हो तो उसका कार्य का निर्धारण किया जा सके।

(3) संविदा पर नियुक्ति, संविदा की कालावधि के अवसान पर स्वत: समाप्त हो जाएगी और सेवा की समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

12. नियुक्ति आदेश.- इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जा सकेंगे। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में जारी किया जायेगा।

13. पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं.- (1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाये। प्रत्येक एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर, एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5 प्रतिशत तक, अगले सौ रूपये पर पूर्णांकित करते हुए बढाया जायेगा।

(2) संविदा कर्मी,-

(i) प्रतिवर्ष 1500/- रू से अनधिक की मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;

(ii) प्रतिवर्ष 500/-रू से अनधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;

(iii) मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा जमा किये गये अभिदाय के 50 प्रतिशत के बराबर नई पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में सरकार के अभिदाय,

का हकदार होगा।

(3) संविदा कर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस संदेय नहीं होगा।

(4) आय पर टी.डी.एस, यदि बकाया हो तो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।

14. छुट्टी का लागू होना.- (1) संविदा पर रखा गया व्यक्ति, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, और वर्ष के मध्य में नियुक्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के मामले में आकस्मिक अवकाशों के लिए पात्रता की संगणना पूर्ण किये गये महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, नियंत्रण प्राधिकारी, कैलण्डर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत छुट्टी के अग्रिम उपभोग को, उपयुक्त कारणों से, अनुज्ञात कर सकता है। अनुपभुक्त छुट्टी कैलेण्डर वर्ष के अंत पर व्यपगत हो जायेगी।

स्पष्टीकरण: संगणना के लिए अपूर्ण दिन, अगले पूर्ण दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जायेगा।

(2) संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ही दी जाएगी। अनुपभुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित की जा सकेगी।

(3) महिला संविदा कर्मी को, जिसके दो से कम जीवित संतान हो, 180 दिवस तक का मातृत्व अवकाश अनुज्ञेय होगा। यदि इसका दो बार उपभोग कर लेने के पश्चात कोई जीवित संतान न हो तो, मातृत्व अवकाश एक और अवसर के लिए दिया जा सकेगा। छुट्टी का संदाय, छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व के दिन को संदत्त संविदात्मक पारिश्रमिक रकम की दर के अनुसार किया जायेगा।

(4) संविदा कर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

15. यात्रा भत्ता.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति, राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में उसके द्वारा की गयी यात्रा के लिए, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा। यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए प्रवर्ग को एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

16. सामान्य शर्तें, सदाचार और अनुपालन.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति,-

(i) उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये आदेशों/नियमों और अनुदेशों के अधीन अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषप्रद आचरण और सदाचार का अनुपालन करेगा,

(ii) एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा;

(iii) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य, वृत्तिक, व्यवसाय में लिप्त नहीं लगेगा या अन्य किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करेगा;

(iv) यूनिफार्म/वर्दी से संबंधित अनुदेशों, यदि जारी किये गये हैं, की अनुपालना करेगा, जिसके लिए वित्त विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत की गयी रकम संदत्त की जायेगी।

17. प्रतिकर.- यदि इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक की सेवा उसकी संविदा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त की गयी है तो वह निम्नलिखित दर पर प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा/होगी:-

शेष रह गयी असमाप्त सहमत कालावधि	प्रतिकर की रकम
एक वर्ष तक	एक माह की उपलब्धियां
दो वर्षों तक	दो माह की उपलब्धियां
तीन वर्षों तक	तीन माह की उपलब्धियां
चार वर्षों तक	चार माह की उपलब्धियां
चार वर्षों से अधिक	पांच माह की उपलब्धियां

यदि संविदा कर्मी की सेवा दुराचार के आधार पर समाप्त की गयी है तो ऐसे संविदा कर्मी को कोई प्रतिकार संदेय नहीं होगा।

18. नियुक्ति आदेश का प्रतिसंहरण.- इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति यदि,

(i) उच्चाधिकारियों के विधिपूर्ण आदेश या अनुदेशों की अवज्ञा करता है या उच्चाधिकारियों का तिरस्कार करता है;

(ii) सरकारी पदधारी के साथ कोई अनाम पत्राचार करता है;

(iii) अनैतिक जीवन में या किसी दांडिक मामले में अंतर्लिप्त होता है;

(iv) ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा नहीं बनाये रखता है;

(v) सभी समयों पर सेवा के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता है; और

(vi) निधियों के दुर्विनियोग में अंतर्लिप्त होता है,

तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से प्रतिसंहृत की जा सकेगी। नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:-

(क) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिसका नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत किया जा रहा है, को कारणों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक नोटिस तामील किया जायेगा।

(ख) नोटिस की तामील, उसके पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए/डी डाक द्वारा/वैयक्तिक प्राप्ति द्वारा/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित अन्य रीति से की जा सकेगी।

(ग) जवाब प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का अधिकतम समय दिया जायेगा।

(घ) यदि अपचारी द्वारा जवाब समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त जवाब का परीक्षण करेगा।

(ङ.) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मी की वैयक्तिक सुनवाई भी की जा सकेगी।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक् तत्परता से विचार करेगा और समाधान हो जाने के पश्चात यदि अपेक्षित हो, नियुक्ति प्राधिकारी, तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति आदेश के प्रतिसंहरण और निधि के दुर्विनियोग के संबंध में वसूली, यदि कोई हो, के आवश्यक आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया दो माह की कालावधि के भीतर-भीतर पूर्ण की जायेगी:

परन्तु इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी यदि किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है तो, उसका नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कथित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही तुरन्त प्रभाव से प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

19. नियुक्ति का समापन.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये संविदा कर्मी की सेवाओं से संतुष्ट न हो या यह विश्वास करता है कि किसी कारण से उसकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं रही हैं तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह का नोटिस या नोटिस कालावधि का वेतन देते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. स्क्रीनिंग.- यदि सरकार की किसी स्कीम/परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण

कर ली है उसे, उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्यायनिर्णित करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा-

(i) प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव; — अध्यक्ष

(ii) वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और — सदस्य

(iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और — सदस्य

(iv) विभागाध्यक्ष — सदस्य-सचिव

नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त के रूप में न्यायनिर्णित किया गया है। नियुक्ति आदेश, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा:

परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर सहमति, विनियमन से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

21. निर्वचन.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जैसा किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

22. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर, वित्त विभाग से परामर्श कर के, विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप

(नियम12)

नियुक्ति आदेश

श्री/ श्रीमती/ कुमारी......................., पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री................................, निवासी............................, ग्राम......................, तहसील..................,जिला............, राज्य............ से प्राप्त............. के पद के लिए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी........................ राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया/गयी है।

अतः वह इसके द्वारा.................. रूप में संविदा पर............... वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् ....तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाता/ जाती है:-

1. रुपये................(अंकों में)..................... (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी:-
   (क) मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रुपये 1500/- प्रति वर्ष से अधिक न हो।
   (ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वंय के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।
   (ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
2. निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।
3. ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।
4. पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर-भीतर जारी किए गये हो।
5. नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।
6. कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाणपत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।

7. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।
8. संविदात्मक नियुक्ति ....को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

9. यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाह्य है तो वह अधोहस्ताक्षरी को ....(पंद्रह दिन से अनधिक) से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

दिनांक:

स्थान: विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

4/2022

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 18-05-2020

–: परिपत्र :–

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी (Recruiting Agency) से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु।

राज्य सेवाओं से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं के सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिला/जिले में स्थान का आवंटन जैसी भी स्थिति हो का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-person counseling के माध्यम से निम्नानुसार शर्तो के अधीन सम्पन्न किया जायेगाः–

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति–पत्नि प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरियताक्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जायेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण किया जायेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति–पत्नि हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो में पदस्थापन किया जायेगा। इसी प्रकार पति–पत्नि में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला/जिले में स्थान में पदस्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला/जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जायेगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति/पत्नि असाध्य रोग से ग्रस्त हो/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा।
5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी, परन्तु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गयी अन्य आवश्यक शर्तों तथा रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
7. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जायेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हों।
8. नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जावे, साथ ही अभ्यर्थियों को जिला/जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे।
9. उपरोक्तानुसार किये गये जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं एवं न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्ररक्षण संबंधित समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे।

उपरोक्त परिपत्र तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-</u>

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष।
9. रक्षित पत्रावली।

18/5/2020

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्र. शिक्षा/नि॰/Govt./4318
दिनांक 10 NOV 2022

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 4(15)शिक्षा–1/अं.मा.काडर/2022 जयपुर, दिनांकः 02.11.2022

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

DD (E.E.)
10.11.2022

विषयः— अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को Contractual माध्यम से भरने के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्र क्रमांकः शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन 66174/ 2022–23/78–80 दिनांक 28.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेख है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 27 (वर्ष 2022–23) के अनुसरण में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत् अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं :—

1. पदों की संख्या एवं मानदेय
   (अ) पदों की संख्या, जिन पर भर्ती की जानी है: 10,000 (दस हजार)।
   (ब) मानदेय
   (1) संविदा पर नियुक्त किये जाने पर मानदेय :—

क्र.सं.	पदनाम	विषय	पदों की संख्या	प्रति शिक्षक मानदेय (प्रति माह)
01	सहायक अध्यापक (लेवल–प्रथम)	—	7,140	16,900
02	सहायक अध्यापक (लेवल–द्वितीय)	गणित	1,430	16,900
		अंग्रेजी	1,430	16,900
	कुल		10,000	

   (2) Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जायेगा :—

क्र. सं.	सेवा अवधि	संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम	मानदेय	विशेष विवरण
01	9 वर्ष	सहायक अध्यापक (लेवल–द्वितीय/ प्रथम) ग्रेड–I	29,600/—	9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत की दर से प्राप्त मानदेय में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर अगले रू. 100/— में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जायेगा।

नोट :— आवश्यकतानुसार पदवार पदों की संख्या का निर्धारण विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक किया जा सकेगा, किन्तु Rajasthan Contractual Hiring

d:\kamlesh kalvaniya\me cadre with in cadre dt 28-10-2022\4(15)edu-1 e m cadre 2022 (1).docx

to Civil Posts Rules, 2022 के तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी।

2. **पदों का चिह्नीकरण**

पदों के चिह्नीकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :–

- रूपान्तरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना।
- जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहां पदों का चिह्नीकरण प्राथमिकता से किया जाए।
- भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार एवं विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिह्नीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सकें। शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिह्नित किए जाए।

3. **नियुक्ति की पदवार योग्यता एवं प्रक्रिया**

महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत् भर्ती एवं सेवा सम्बन्धी शर्तें निम्नानुसार हैं:–

I. **सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण :–**

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 की अनुसूची–II में "अध्यापक विंग" एवं पंचायती राज नियम–1996 में सम्मिलित पद, जो महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–01 से 10 तक के संचालन हेतु संवर्गित हैं, के लिए शैक्षिक व प्रशैक्षणिक अर्हताएं तथा पद के लिए नियुक्ति अधिकारी निम्नानुसार होगा:–

क्र. सं.	पदनाम	शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता	नियुक्ति अधिकारी
01	सहायक अध्यापक (लेवल–द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित)	**शैक्षिक अर्हता :–** न्यूनतम 50% अंको सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक **प्रशैक्षिक अर्हता :–** Bachelor of Education (B.Ed.)/ Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल –द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जिशिअ (मु.) – माशि (संबंधित जिला)
02	सहायक अध्यापक (लेवल–प्रथम)	**शैक्षिक अर्हता :–** 50% अंको सहित उमावि/ समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण **प्रशैक्षिक अर्हता :–** Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल– प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जिशिअ (मु.) – माशि (संबंधित जिला)

II. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाए।

III. विभाग की आवश्यकतानुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाये गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

4. <u>संविदा नियुक्ति का तरीका</u>

a. समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केन्द्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार–प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें सेवा शर्तों और पात्रता की शर्तों का स्पष्ट व पूर्ण उल्लेख किया जाएगा।

b. आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जायेंगे।

c. आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी।

d. पात्र पाए गए आशार्थियों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर की जाएगी।

e. समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के आशार्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।

f. आयु भी समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है, उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में उससे नीचे रखा जाएगा।

g. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जावें।

h. आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।

i. संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

   I. पदस्थापन हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इस हेतु पात्र एवं चयनित आशार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।

   II. काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की (<u>केवल ग्रामीण क्षेत्र</u>) की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा।

   III. प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा।

j. संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना/परियोजना की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है, तो प्रति एक वर्ष पश्चात् कार्य समीक्षा उपरान्त सन्तोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।

k. संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

l. आयु व अन्य सामान्य व विशिष्ट सेवा शर्तें **"राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022"** के प्रावधानानुसार होगी।

5. **संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व**

उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत संविदा आधार पर नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों के पदीय दायित्व निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	पदनाम	पदीय दायित्व
01	सहायक अध्यापक (लेवल–प्रथम)	I. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–01 से 05 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। II. प्राचार्य द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना।
02	सहायक अध्यापक (लेवल–द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित)	I. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–06 से 08 तक अंग्रेजी/ गणित विषय का शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। II. प्राचार्य द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102204511 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

भवदीय,

02.11.22

(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव महोदया।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
9. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
11. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
13. संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 5, 6)/प्रारम्भिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
14. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
15. उप निदेशक (एमजीजीएस सेल), निदेशालय, मा.शि.राज., बीकानेर।
16. रक्षित पत्रावली।

02.11.22

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 1(1)कार्मिक/क–2/2016

जयपुर, दिनांक: 4.12.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–राजकीय सेवा में/पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.7.16 के अतिक्रमण में सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों पर नियुक्ति से पूर्व चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान विद्यमान हैं। इन प्रावधानों की सख्ती से पालना करानें के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/77 दिनांक 31.08.77, क्रमांक एफ 2(22)कार्मिक/क–2/87 दिनांक 11.10.89 एवं परिपत्र दिनांक 30.09.1997 जारी किए हुए हैं। परन्तु, किन स्थितियों में अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा एवं किन स्थितियों में पात्र, इस संबंध में कुछ स्थितियों के संबंध में अस्पष्टता होने के कारण नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वे आपराधिक प्रकरणों का रिकॉर्ड सामने आने पर अभ्यर्थी विशेष को नियुक्ति का पात्र मानें अथवा नहीं मानें। यद्यपि यह सामनें आया है कि इस संबंध में गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन करने वाले पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ कुछ परिपत्र जारी किए हैं, किन्तु वे सभी नियुक्ति अधिकारियों का समान–रूप से मार्गदर्शन नहीं करते हैं।

अतः शासन में सभी स्तरों पर एकरूपता बनाए रखने के हित में, इस विषय में पूर्व में जारी तत्संबधी सभी परिपत्रों/निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :–

चरित्र सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं :–

Character. The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce a certificate of good character from the principal/Academic Officer of the University or College in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application from two responsible persons not connected with the College or University and not related to him.

(1) A conviction by a court of law need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violance or with a movement which has a its object the overthrow by violent means of the government as established by law, the mere conviction need not be regarded as a dis-qualification.

(2) Ex-prisoners, who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed, should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the service. Those, who are convicted of offences not involving moral turpitude or violance, shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintrndent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular district, from the superintendent of police of that district.

(3) Those convicted of offences involving moral turpitude or violence shall be required to produce a certificate from the superintendent, After Care Home, or if there is no such home in particular district, from the superintendrnt of police of that district, endorsed by the Inspector General of prisons.to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

इस संबंध में प्रकरण मान0 सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) cc 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि "सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। अपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना की अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र।"

सेवा नियमों की अपेक्षा यह है कि 'किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व आचरण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य या अयोग्य पाने का निर्णय करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण में अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर अभ्यर्थी के आचरण का आंकलन करना चाहिए'

उक्तानुसार यह निर्विवाद है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने/नहीं दिए जाने का निर्णय अंतिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को ही, सुसंगत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर लेना होगा। तथापि कुछ प्रकरण ऐसी प्रकृति के होंगे जिनमें स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है जबकि अन्य कुछ ऐसे प्रकरण भी होंगे जिनमें नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित/न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः नियुक्ति अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निदर्शन के रूप में ऐसी प्रकृति के प्रकरणों को यहां लेखबद्ध किया जा रहा है :–

1. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए:–

यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन (under trial)** है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए :–

(i) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iv) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(v) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलितता हो।

(vi) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(vii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(viii) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अंतर्वलितता हो।

(ix) लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधों से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

2. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए:–

(i) जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण में अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया हो तथा संबंधित भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर अन्वेषणोपरांत एफ.आर न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी हो।

(ii) दोषमुक्ति के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत (antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

(iii) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/राजकीय सेवा/भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें दोषी करार दिया जाकर **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 24(i) का लाभ प्रदान किया गया हो।**

समस्त नियोक्ता अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अभ्यर्थियों के चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों एवं इन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेंगे। तथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों को न तो अनावश्यक रूप–से लम्बित रखेंगे और न ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करेंगे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

circular - 51

46/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

46/2017

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क-2/2016 जयपुर, दिनांक: 16 JUN 2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

शुद्धिपत्र

विषयः-राजकीय सेवा में/पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4.12.2019 के पृष्ठ 4 पर आया बिन्दु संख्या **"2. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए"**:-के उप बिन्दु (iv) में आई अभिव्यक्ति **"अधिनियम, 2005"** के स्थान पर **"अधिनियम, 2015"** पढ़ा जावे।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क–2/2016 जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2021

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–राजकीय सेवा में/पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.12.19 द्वारा आपराधिक प्रकरणों वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र मानें जाने अथवा नहीं माने जानें के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2. **"ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए"** के क्लॉज (ii) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किया गया है:–

(ii) दोषमुक्ति के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत (antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

इस संबंध में विभिन्न विभागों से राय हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हो रहे है कि इस में उल्लेखित समिति का स्वरुप क्या होगा तथा पुलिस अधिकारी किस रेंक का होगा?

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 4.12.2019 के अनुसार दोषमुक्ति के प्रकरणों में निर्णय के लिए विभाग के स्तर पर समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:–

1. राज्य सेवा के पदों के मामले में:–

1. संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष
2. संबंधित रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मनोनीत एक पुलिस अधिकारी जो उपाधीक्षक रेंक से कम न हो	सदस्य
3. विधि विभाग का प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
4. संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य सचिव

2. अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों के मामलें में:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2. संबंधित रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मनोनीत एक पुलिस अधिकारी जो उपाधीक्षक रेंक से कम न हो	सदस्य
3. विधि विभाग का प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य

4\. संबंधित विभाग में संस्थापन का प्रभारी अधिकारी जो उप निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर का हो — सदस्य सचिव

अतः समस्त नियोक्ता प्राधिकारी न्यायिक मामलों में दोषमुक्ति के प्रकरणों में सेवाओं के वर्गीकरण के अनुसार उपरोक्त समिति का गठन कर चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में विभाग के स्तर पर निर्णय कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगें।

26/10/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग,, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

५९/२१

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 1(1)कार्मिक/क–2/2016 जयपुर, दिनांक: 22.03.2023

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

शुद्धि–पत्र

विषयः–राजकीय सेवा में/पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.10.2021 की प्रथम पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "दिनांक 14.12.19" के स्थान पर "दिनांक 4.12.2019" पढा जावे।

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली

23/3/23
(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

19/2023

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-2)

No. F.7(1)DOP/A-II/95 Jaipur, dated :08/04/2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as specified in the Schedule appended herewith, namely :-

1. **Short title of commencement** – (i) These rules may be called Rajasthan various service (....Amendment) Rules, 2003.

   (ii) They shall deemed to have come into force w.e.f. **20 June, 2001**.

2. **Amendment** – The existing following sub-rule (3) or (4) or (5) as the case may be, of rule as mentioned in Column No. 3 against each of the Service Rules as mentioned in column No. 2 of the Schedule appended hereto :-

   "No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1.6.2002.

   Provided that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children."

   Shall be substituted by the following, namely :-

   "No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1.6.2002.

   Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

   Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children."

SCHEDULE

S.No.	Name of Service Rules	Number of Existing Rule
1.	2.	3.
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954.	25B
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954.	25C
3.	The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954.	25B
4.	The Rajasthan Inspector of Registration and Stamps Service Rules, 1954.	21A
5.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954.	21A
6.	The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954.	21A
7.	The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954.	21A
8.	The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954.	21A
9.	The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958	15B

S.No.	Name of Service Rules	Number of Existing Rule
1.	2.	3.
10.	The Rajasthan Labour and Welfare Service Rules, 1958.	15B
11.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules, 1958.	15B
12.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958.	21A
13.	The Rajasthan Jails Service Rules, 1959.	20A
14.	The Rajasthan State Insurance and Provident Fund Service Rules, 1959.	21A
15.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960.	21A
16.	The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960.	20A
17.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960.	20A
18.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960.	22A
19.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960.	20A
20.	The Rajasthan Archaeological & Museums Service Rules, 1960.	21A
21.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962.	20
22.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962.	21
23.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962.	25A
24.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963.	21
25.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963.	21
26.	The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963.	21
27.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966.	21
28.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966.	21
29.	The Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967.	21
30.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968.	21
31.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969.	21
32.	The Rajasthan Educational Service Rules, 1970.	21
33.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971.	15A
34.	The Rajasthan Technical Education Service Rules, 1973.	21
35.	The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. B & R) Rules, 1973.	21
36.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973.	21
37.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975.	21
38.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975.	21
39.	The Rajasthan Sheep and Wool Service Rules, 1975.	21
40.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975.	21
41.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976.	21
42.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976.	21
43.	The Rajasthan Home Guards & Civil Defence Service Rules, 1976.	21
44.	The Rajasthan Sanskrit Education Service Rules, 1977.	21
45.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979.	22
46.	The Rajasthan Police Forensic Science Service Rules, 1979.	22
47.	The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979.	22
48.	The Rajasthan Transport Service Rules, 1979.	22
49.	The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980.	22
50.	The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981.	26
51.	The Rajasthan Vidhi Rachana State and Subordinate Service Rules, 1981.	26
52.	The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986.	22
53.	The Rajasthan Education Service (Collegiate Branch) Rules, 1986.	21
54.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992.	27
55.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997.	23
56.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998.	25

S.No.	Name of Service Rules	Number of Existing Rule
1.	2.	3.
57.	The Rajasthan Women and Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998.	25
58.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000.	25
59.	The Rajasthan Tribal Area Development State & Subordinate Service Rules, 2001.	25
60.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) Rules, 1955.	24A
61.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955.	23A
62.	The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956.	24D
63.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960.	21
64.	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963.	25
65.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 1963.	16
66.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963.	21
67.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963.	21
68.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965.	21
69.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965.	21
70.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966.	21
71.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966.	21
72.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967.	21
73.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967.	21
74.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968.	21
75.	The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971.	21
76.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971.	21
77.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973.	21
78.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973.	21
79.	The Rajasthan Subordinate Engineering (P.W.D., B. & R. Branch) Service Rules, 1973.	21
80.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973.	21
81.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974.	21
82.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974.	21
83.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974.	21
84.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975.	21
85.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975.	21
86.	The Rajasthan Sheep and Wool Subordinate Service Rules, 1975.	21
87.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules,1975.	21
88.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975.	25
89.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976.	21
90.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976.	21
91.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977.	21
92.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978.	22
93.	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978.	17

S.No.	Name of Service Rules	Number of Existing Rule
1.	2.	3.
94.	The Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules, 1978.	22
95.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979.	22
96.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979.	22
97.	The Rajasthan Police Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980.	22
98.	The Rajasthan Circuit Houses Subordinate Service Rules, 1979.	22
99.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989.	24
100.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998.	33
101.	The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001.	32
102.	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970.	15
103.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999.	31
104.	The Rajasthan Class IV Service (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 1999.	19

By order and in the name of the Governor,

(Shanti Kumar Verma)
Deputy Secretary to the Government

10/2003

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 04.10.2013

परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

विषयः–राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबंध (Undertaking) बाबत।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबंधता (Undertaking) प्राप्त की जानी है।

अतः इस हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि राज्य में होने वाली विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति से पूर्व संलग्न प्रपत्र में वचनबंधता (Undertaking) प्राप्त करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(मुकेश शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

कृ.प.उ.

28.madiji/vth.file/note-order/2013

—: वचनबंध प्रपत्र :—

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....

निवासी........................ ....

....

वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(13)कार्मिक/क-2/23 जयपुर, दिनांक 11-05-2023.

1 समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के O.M. No. 139/52-Estts. dated 31.7.1952 & 28854 read with O.M. No. 31/1/63-Estts. (A) dated 26.12.1963 & O.M. No. 31/3/63-Estts. (A) dated 23.03.1964 के अनुसार प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने की शपथ लिये जाने की व्यवस्था है।

अतः राज्य में राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले अन्य शपथ-पत्रों यथा दहेज, तम्बाकू, विवाहित/अविवाहित, संतान घोषणा आदि के साथ ही राज्य में राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे: —

"मैं .... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।
(अतः ईश्वर मेरी सहायता करे)"

अतः इस सम्बन्ध में सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
7. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव
Document certified by HEMANT KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.
Digitally Signed by Hemant Kumar Gera
Designation: Principal Secretary To Government
Date :11-05-2023 07:19:02

RajKaj Ref No. : 3821602

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 जयपुर, दिनांक 18 OCT 2021

परिपत्र

विषयः– भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश।

भर्तियों को नियमित एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न करने तथा भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.04.2021 के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. रिक्तियों का निर्धारण एवं भर्ती अर्थना–

सेवा नियमों में सभी नियोक्ता प्राधिकारियों से प्रतिवर्ष 1 अप्रेल को किसी सेवा संवर्ग में वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली वास्तविक रिक्तियों के निर्धारण की अपेक्षा की गई है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों का निर्धारण एवं उसका प्रकाशन नहीं किया जाता है। सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के निर्धारण के पश्चात ही भर्ती संस्था को अर्थना प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1.1 सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में वर्षपर्यन्त उपलब्ध होने वाली सभी रिक्तियों की गणना अनिवार्य रूप से 15 अप्रेल तक करते हुए इसे विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1.2 सीधी भर्ती के उद्देश्य से 15 अप्रेल तक रिक्तियों की गणना करने के लिए 1 अप्रेल को उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों, वर्षपर्यन्त सेवानिवृति एवं 15 अप्रेल तक अन्य किसी भी कारण यथा नवीन पदसृजन आदि से प्राप्त रिक्तियों को शामिल किया जाये।

1.3 भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। पदों के वर्गीकरण में आरक्षण एवं रोस्टर संबंधी किसी विषय के संबंध में आवश्यकतानुसार कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

1.4 कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिनांक 15 मई से पूर्व उन सभी विभागों, जिनमें रिक्तियाँ विद्यमान है तथा सीधी भर्ती हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है, के संस्थापन कार्य से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की एक कार्यशाला आयोजित की जाकर सीधी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया तथा आरक्षण से संबंधित अद्यतन प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

1.5 कार्मिक विभाग द्वारा उन सभी विभागों, जिनमें चालूवर्ष में सीधी भर्ती की कार्यवाही की जानी है, की मई के तृतीय सप्ताह तक एक बैठक आयोजित की जायेगी।

1.6 प्रशासनिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/अन्य भर्ती संस्था को भर्ती अर्थना प्रेषित करते समय अर्थना के साथ संलग्न प्रारुप में इस आशय का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप 'अ') प्रस्तुत किया जायेगा कि भर्ती संबंधी पद के सेवा नियमों

में अद्यतन संशोधन सहित प्रति उपलब्ध करवा दी गई है तथा वर्गवार रिक्तियों की गणना आरक्षण प्रावधानों एवं विभाग में आधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार है।

1.7 विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही कर 31 मई से पूर्व भर्ती हेतु अर्थना आयोग/बोर्ड/भर्ती संस्था को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 31 मई से पूर्व भर्ती अर्थना भर्ती संस्था को प्राप्त हो जाये।

1.8 विभागों द्वारा रिक्त पदो पर प्रतिवर्ष निर्धारित प्रक्रिया एवं समय रेखा (Time line) अनुसार भर्ती करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2 भर्ती कैलेण्डर एवं विज्ञापन प्रकाशन:–

भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध किये जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष में की जाने वाली भर्तियों हेतु अग्रिम भर्ती कैलेण्डर जारी किया जाना अपेक्षित है। भर्ती कैलेण्डर जारी किये जाने से न केवल भर्ती संबंधी समस्त कार्य समयबद्ध रूप से सम्पादित किया जाना सम्भव होगा बल्कि इससे अभ्यर्थियों में भी भर्ती परीक्षा को लेकर स्पष्टता रहेगी। भर्ती हेतु अर्थना प्राप्त होने के पश्चात आयोग/बोर्ड द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए :–

2.1 आयोग एवं चयन बोर्ड के स्तर पर समस्त प्राप्त भर्ती अर्थनाओं का परीक्षण 15 जुलाई से पूर्व सुनिश्चित किया जाए।

2.2 भर्ती अर्थना में आयोग/बोर्ड द्वारा कमी इंगित किये जाने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अविलम्ब आयोग/बोर्ड/भर्ती संस्था से समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पूर्व भर्ती अर्थना को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी, ताकि समय पर आगामी वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा सके।

2.3 आयोग/बोर्ड द्वारा 30 सितम्बर से पूर्व आगामी वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जिसमें प्रत्येक पद के भर्ती विज्ञापन एवं भर्ती के प्रत्येक चरण की परीक्षा/साक्षात्कार की सम्भावित समयावधि (यथा माह) सहित पूर्ण विवरण प्रकाशित किया जाये। भर्ती संस्था द्वारा भर्ती कैलेण्डर की सख्ती से पालना की जाये तथा अत्यन्त आपवादिक/आपातिक स्थितियों के अलावा भर्ती कैलेण्डर में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

2.4 राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन हेतु एक बारीय पंजीयन (one time registration) की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

2.5 किसी भी भर्ती में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों को उस भर्ती में प्रभाव नहीं दिया जाए अर्थात प्रत्येक भर्ती में विज्ञापन जारी करने की तिथि तक के नियमों को विज्ञापन में भर्ती की शर्त के रूप में शामिल करते हुए विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती पूर्ण की जाए।

3. परीक्षा परिणाम, दस्तावेज सत्यापन एवं चयन सूची अभिस्तावना

परिणाम जारी होने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं चयन सूची की अभिस्तावना पूरी तरह से आयोग/बोर्ड/अन्य संस्था की आंतरिक कार्यवाही है तथापि आयोग/बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के कार्य में प्रशासनिक विभागों का भी सहयोग लिया जाता है। अतः परीक्षा परिणाम,

दस्तावेज सत्यापन एवं चयन सूची अभिस्तावना के कार्य को समयबद्ध रूप के सम्पन्न करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

3.1 परीक्षा परिणाम जारी करना भर्ती संस्था का विशेषाधिकार है तथापि भर्ती संस्था से यह अपेक्षित है कि अंतिम परिणाम को जारी किये जाने से पूर्व ही प्रक्रिया/नियमों/पात्रता/प्रश्नपत्र संबंधी आपत्तियॉं, यदि कोई हो, तो उनका निस्तारण करते हुए परिणाम को त्रुटिरहित जारी किया जावे एवं न्यायालय आदेश को छोडकर यथासम्भव संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाना चाहिए।

3.2 परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। कई बार अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण मेरिट एवं परीक्षा परिणाम में परिवर्तन होता है तथा चयन सूची कई चरणों में प्रेषित की जाती है, परिणामस्वरूप भर्ती पूर्ण होने में विलंब होता है। इन सबके मद्देनजर भर्ती एजेंसी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु यथेष्ट संख्या (रिक्तियों के लगभग न्यूनतम 2 गुणा) में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए ताकि मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची हेतु यथावश्यक अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें।

3.3 भर्ती एजेन्सी द्वारा भर्ती परीक्षा का अन्तरिम परिणाम जारी करने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन का कार्य एक निर्धारित समय सीमा-अधिकतम 45 दिवस, के अंदर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रथम अवसर पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले पुनः अवसर की समयावधि शामिल है। रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में आवश्यक होने पर इसे 15 दिवस और बढाया जा सकता है।

3.4 आयोग/बोर्ड में विशेष रूप से सुदृढ़ दस्तावेज संवीक्षा प्रकोष्ठ (scrutiny cell) का गठन किया जाये। आयोग एवं बोर्ड द्वारा एक बारीय पंजीयन (One Time registration) की व्यवस्था इस प्रकार लागू की जाये कि उसका उपयोग केवल आवेदन पत्र भरने के लिए ही न किया जाकर दस्तावेज सत्यापन (document verification) के लिए भी किया जा सके। एक बारीय पंजीयन लागू होने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को किसी एक परीक्षा के पश्चात सत्यापन हो जाता है, उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नही होनी चाहिए।

3.5 दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् संपूर्ण चयन सूची एक बार में ही अभिस्तावित की जाए। किसी भी स्थिति में चयन सूची टुकड़ों-टुकड़ों (Piecemeal) में अभिस्तावित न की जाए। चयन सूची अभिस्तावित करते समय केवल उन प्रकरणों, जिनमें न्यायालय से स्थगन है/जांच का विषय है, को ही लंबित रखा जाना चाहिए।

4. पदस्थापन/नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही-

वर्तमान में भर्ती संस्था से चयन सूची विभाग में प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई निश्चित समय रेखा एवं समय सीमा नही है, जिसके कारण विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग ढंग से कार्यवाही की जाती है, परिणामतः नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने में विलम्ब होता है। अतः चयन सूची विभाग में प्राप्त होने के पश्चात सभी विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते है:-

4.1 विभाग में चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात अधिकतम 1 माह में पदस्थापन आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

4.2 यदि चयनित अभ्यर्थियों के चरित्रवृत/अन्य सत्यापन आदि शेष हो तो इस सम्बन्ध में विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 के अनुसार कार्यवाही करते हुए पदस्थापन आदेश जारी किये जाये।

4.3 नियुक्ति आदेश जारी होने के 3 सप्ताह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य हो। नियुक्ति आदेश में ही यह शर्त हो कि 3 सप्ताह में कार्यग्रहण न करने पर उस व्यक्ति की सीमा तक नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

4.4 अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण में वृद्धि हेतु नियुक्ति हेतु दी गई समय सीमा के कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा, जिस पर विभाग द्वारा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि से पूर्व निर्णय किया जाये।

4.5 कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना कार्यग्रहण की अंतिम तिथि के 10 दिन की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से विभाग को उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

5. भर्ती परीक्षा के समय परीक्षा कार्य हेतु ड्यूटी देने वाले अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे। परीक्षा कार्य के दौरान अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनुशासनहीनता पर आयोग/बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी, जिस पर सम्बंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग/बोर्ड के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सभी भर्तियों के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए भर्तियों को त्रुटिरहित तरीके से समयबद्ध रूप से सम्पन्न करवाया जाना सुनश्चित किया जाये।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

14/10/21

45/2021

प्रमुख शासन सचिव

प्रारूप 'अ'

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... पद से संबंधित सेवा नियम .... (सेवा नियम का नाम) में अद्यतन संशोधनों को शामिल करते हुए सेवा नियम की प्रति भर्ती अर्थना के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त पद हेतु राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण प्रावधानों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रोस्टर पंजिका संधारित है तथा अर्थना में पदों की संख्या का प्रस्तुत वर्गीकरण आरक्षण प्रावधानों एवं रोस्टर पंजिका के अनुसार है।

(हस्ताक्षर एवं नाम)

विभागाध्यक्ष/नियोक्ता प्राधिकारी

सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023

(गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप)

17.1 आवेदक द्वारा शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(नाम) घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022 नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मेरे विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नही है।
4. (अ)किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर निदेशालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. मेरे द्वारा भरे आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा सहायक अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
8. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाईन भरा गया आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. मुझे यह जानकारी है कि मैं पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एड/बी.एस.टी.सी.) उत्तीर्ण होने पर ही संविदा आधार पर सहायक अध्यापक रखे जाने हेतु पात्र माना जाऊँगा/जाऊँगी।
13. मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
14. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड हैं। मात्र इस कारण से मुझे सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम/सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :
पता :

स्थान :..................................
दिनांक :..................................
फोन नम्बर मय कोड :..................................
मोबाईल नम्बर :..................................

स्व–सत्यापन

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र................ जाति.......... निवासी.......................... व्यवसाय.................................... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर–
अभ्यर्थी का नाम : ....
मोबाईल नम्बर :..................................

प्रारूप–02

सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय संविदा भर्ती, 2023
(अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप)

17.1 आवेदक द्वारा शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(नाम) घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम–2022 नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नही है।
4. (अ)किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. मेरे द्वारा भरे आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा सहायक अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
7. मैं राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी हूं मेरे माता–पिता/पूर्वज अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी रहे है।
8. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाईन भरा गया आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. मुझे यह जानकारी है कि मैं पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एड/बी.एस.टी.सी.) उत्तीर्ण होने पर ही संविदा आधार पर सहायक अध्यापक रखे जाने हेतु पात्र माना जाऊँगा/जाऊँगी।
13. मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
14. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड हैं। मात्र इस कारण से मुझे सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम/सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :
पता :

स्थान :..............................
दिनांक :..............................
फोन नम्बर मय कोड :..............................
मोबाईल नम्बर :..............................

स्व–सत्यापन

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री ....उम्र.............. जाति.............. निवासी.............................. व्यवसाय.............................. सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षरः–
अभ्यर्थी का नाम : ....
मोबाईल नम्बर : ....